उत्तर प्रदेश शासन

नागरिक उड्डयन अनुभाग

संख्या :66/2016/931/छप्पन-2016-19/2011

लखनऊ : दिनांक : 05 सितम्बर, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

नियुक्ति

श्री राज्यपाल नागरिक उड्डयन निदेशालय, उत्तर प्रदेश के अधीन अनुरक्षण, सुरक्षा एवं सामान्य इकाई के अन्तर्गत हेलीकॉप्टर अनुरक्षण अभियन्ता के पद पर श्री रूपेश सक्सेना को रूपये 1.50 लाख से रूपये 2.50 लाख प्रतिमाह रेन्ज के पारिश्रमिक में 1.75 लाख प्रतिमाह नियत मासिक पारिश्रमिक पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष (दो वर्ष) की अवधि के लिए संविदा पर नियुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- श्री रूपेश सक्सेना को उक्त संविदा अवधि में रूपये 1.75 (रूपये एक लाख पचहत्तर हजार मात्र) नियत मासिक पारिश्रमिक एवं शासनादेश दिनांक 09.09.2014 के अनुसार 05 प्रतिशत वार्षिक वेतन वृद्धि के अतिरिक्त अन्य कोई भत्ता देय नहीं होगा। उक्त शर्तों के अधीन रहते हुए उन पर संविदा सेवा अवधि में शर्तें वही लागू होगी, जो अस्थायी कर्मचारियों पर लागू होती है। वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2, भाग-2 के सहायक नियम-157-ए तथा तत्सम्बन्धी शासनादेशों के अन्तर्गत उन्हें अस्थायी राज्य कर्मचारियों की भाँति देय होगा।

3- श्री रूपेश सक्सेना से संविदा पर नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्धारित प्रपत्र पर अनुबन्ध पत्र निष्पादित कराकर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(एस0के0 रघुवंशी)
सचिव।

श्री रूपेश सक्सेना (संविदा सेवा)
फ्लेट नं0- 403, ब्लाक नं0- ए-2,
गायत्री रेजीडेन्स सी0एच0एस0 मेडियानगर फेज नं0-1,
नियर-7, स्व0 अकादमी, दीपक हास्पिटल लेन,
मीरा रोड (ई), मुम्बई-401107

संख्या : 66/2016/931(1)/छप्पन-2016 तददिनांक।

1- निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ को इस अभ्युक्ति के साथ कि श्री रूपेश सक्सेना, हेलीकॉप्टर अनुरक्षण अभियन्ता से निर्धारित प्रपत्र पर अनुबन्ध पत्र निष्पादित कराकर शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, इलाहाबाद।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

4- वित्त नियंत्रक, नागरिक उड्डयन निदेशालय, लखनऊ।

5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7

6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

7- कार्मिक अनुभाग-4

8- नियोजन अनुभाग-1

9- सम्बन्धित कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली के लिए।

10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृष्ण चन्द्र राय शर्मा)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।